न्यायालय : भारत सिंह कनेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुना (म.प्र.)

क्रमांक/ /2024 गुना, दिनांक 05.04.2024

— :: रिमाण्ड डयूटी आदेश माह अप्रैल+मई 2024 ::—

माह अप्रैल+मई 2024 के अधोलिखित सार्वजनिक अवकाशों में गुना जिला एवं आरोन, राघौगढ, चांचौड़ा तहसील न्यायिक स्थापना पर अत्यावश्यक प्रकृति के आपराधिक कार्य संपादन हेतु निम्नानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की रिमांड डयूटी नियत की जाती है। संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा निम्नानुसार सार्वजनिक अवकाश दिवस को **दोपहर 03:00 बजे से 05:00 बजे** के मध्य रिमांड ड्यूटी सम्पादित की जावेगी।

— ::जिला न्यायिक स्थापना—गुना ::—

क्र.	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	माह अप्रैल 2024	माह मई 2024
1	श्री नितेन्द्र सिंह तोमर	-	12-05-2024
2	श्रीमती ऋितु श्री गुप्ता	21-04-2024	-
3	श्रीमती सरिता डाबर वास्कले	07-04-2024	-
4	श्री अभिजीत सिंह वास्कले	09-04-2024	-
5	श्रीमती शिखा लोकेश दुबे	-	19-05-2024
6	श्री राजकुमार तोरनिया	28-04-2024	26-05-2024
7	श्री सुरेश बार्गीय	14-04-2024	18-05-2024
8	श्रीमती श्रुति चौहान	17-04-2024	23-05-2024
9	श्री चेतन बजड़	11-04-2024	05-05-2024

— ::तहसील न्यायिक स्थापना—राधौगढ ::—

क्र.	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	माह अप्रैल 2024	माह मई 2024
1	श्री मोहम्मद जफर	14-04-2024 17-04-2024	05-05-2024 23-05-2024

2	श्री आशीष शर्मा	**07-04-2024** **09-04-2024** **11-04-2024**	**12-05-2024** **26-05-2024**
3	श्री रवि तंवर	**21-04-2024** **28-04-2024**	**18-05-2024** **19-05-2024** **12-05-2024**

– ::तहसील न्यायिक स्थापना–आरोन ::–

क.	**न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी**	**माह अप्रैल 2024**	**माह मई 2024**
1	सुश्री रेनू खेस	**07-04-2024** **09-04-2024** **11-04-2024** **28-04-2024**	**05-05-2024** **12-05-2024** **23-05-2024**
2	श्री हीरालाल सिसौदिया	**14-04-2024** **17-04-2024** **21-04-2024**	**18-05-2024** **19-05-2024** **26-05-2024**

– ::तहसील न्यायिक स्थापना–चांचौड़ा ::–

क.	**न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी**	**माह अप्रैल 2024**	**माह मई 2024**
1	श्रीमती आकांक्षा कत्याल	**07-04-2024** **09-04-2024**	**05-05-2024** **23-05-2024**
2	श्रीमती श्वेता अग्रवाल	**14-04-2024** **17-04-2024**	**12-05-2024** **26-05-2024**
3	सुश्री प्रियम सेन	**11-04-2024** **21-04-2024** **28-04-2024**	**18-05-2024** **19-05-2024**

सामान्य नोट–

1– उपर्युक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी में से किसी मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण होने की दशा में उपर्युक्तानुसार रिमांड डयूटी का संपादन स्थानांतरित किये गये मजिस्ट्रेट के स्थान पर स्थानांतरित/नियुक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा किया जावेगा। नवीन स्थानांतरित/नियुक्त न्यायिक मजिस्टेट द्वारा पदभार ग्रहण न किये जाने की दशा में अन्यथा

नवीन पदस्थापना न होने की दशा में कंडिका क्रं. 2 में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा रिमांड डयूटी का संपादन किया जावेगा।

2– माह **अप्रैल 2024 के** उपरोक्त अवकाशों के अतिरिक्त में यदि कोई अतिरिक्त सार्वजनिक अवकाश घोषित होने अथवा रिमांड डयूटी हेतु नियुक्ति मजिस्ट्रेट के अवकाश/मुख्यालय छोड़ने की अनुमति स्वीकृत होने अथवा स्थानांतरित होने की दशा में **गुना/आरोन/राघौगढ़/चांचौड़ा स्थापना पर उक्त दिनांक की रिमाण्ड ड्युटी का निष्पादन माह अप्रैल 2024 में कमशः श्री अभिजीत वास्कले/सुश्री रेनू खेस/श्री आशीष शर्मा/श्रीमती आकांक्षा कात्याल एवं माह मई 2024 में कमशः श्री चेतन बजड़/श्री हीरालाल सिसौदिया/श्री मोहम्मद जफर/सुश्री प्रियम सेन** के द्वारा किया जावेगा।

3– उपर्युक्तानुसार नियत रिमांड डयूटी सामान्यतः परिवर्तित नहीं की जा सकेगी। किन्तु आकस्मिकता एवं आपवादिक परिस्थितियों में यदि कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट अपनी रिमांड परिवर्तित/समाप्त कराना चाहे, तो संबंधित अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की लिखित पारस्परिक सहमति प्रेषित किये जाने पर, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन उपरांत उपर्युक्तानुसार नियत रिमांड डयूटी परिवर्तित की जा सकेगी।

4– सार्वजनिक अवकाश अवधि में न्यायिक मजिस्ट्रेट मुख्यालय छोड़ने की अनुमति दिये जाने का आवेदन प्रेषित करते समय आवेदन में उक्त सार्वजनिक अवकाश में उनकी रिमांड डयूटी नियत होने या न होने का स्पष्ट उल्लेख किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

5– सावजनिक अवकाश दिवस में रिमाण्ड डयूटी के दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायिक कार्य का संपादन किया जाता है। अतः रिमाण्ड ड्यूटी के दौरान संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट से अपेक्षा की जाती है कि वह न्यायिक कार्य हेतु गरिमा अनुरूप उचित गणवेश रिमाण्ड ड्यूटी के दौरान धारित करेंगे।

6– समस्त थाना प्रभारी/अनुसंधानकर्ताओं अभियुक्तगण की गिरफतारी से विहित 24 घंटे की समयावधि का अवसान रिमांड डयूटी हेतु नियत समय 03.00 बजे के पूर्व समाप्त होने की दशा में उक्त दिनांक को रिमांड डयूटी करने वाले न्यायालय के निष्पादक लिपिक से अविलंब संपर्क कर निष्पादक लिपिक के माध्यम से रिमांड डयूटी करने वाले मजिस्टेट को अवगत कराना तथा रिमांड डयूटी करने वाले मजिस्टेट के निर्देशानुसार रिमांड संबंधी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

नोट :– प्रशिक्षु न्यायाधीश श्री दिव्यांशु गुप्ता एवं श्रीमती डिंपल चौधरी माह मई 2024 में जिला न्यायिक स्थापना गुना में प्रत्येक माह के किन्ही भी तीन सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर रिमांड न्यायालय में उपस्थित रहकर संबंधित मजिस्ट्रेट से रिमांड संबंधी प्रशिक्षण लेंगे एवं तत्संबंधी प्रतिवेदन प्रशिक्षण समन्यवक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। संबंधित न्यायिक अधिकारी को अवगत कराया जावे।

विशेष :– **<u>यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, गुना के आदेश के अधीन प्रभावशील रहेगा।</u>**

(भारत सिंह कनेल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
गुना (म.प्र.)

पृ.क्र.:–   /2024   गुना, दिनांक ....

<u>प्रतिलिपि :–</u> (ईमेल–मेसेज द्वारा)

1- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, गुना की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2- समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुना/आरोन/राघौगढ़/चांचौड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3- जिला/सहायक अभियोजन अधिकारी, गुना/आरोन/राघौगढ़/चांचौड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4- अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, गुना/आरोन/राघौगढ़/चांचौड़ा की ओर सूचनार्थ।
5- नाजिर/नायब नाजिर, नजारत अनुभाग गुना/आरोन/राघौगढ़/चांचौड़ा की ओर सूचनार्थ।
6- पुलिस अधीक्षक, गुना की ओर समस्त थाना प्रभारियों को संसूचित करने बावत्।
7- जेल अधीक्षक जिला गुना, की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8- सिस्टम आफिसर/डी.एस.ए./कम्प्यूटर लिपिक न्यायिक स्थापना गुना/आरोन/राघौगढ़/चांचौड़ा की ओर उक्त आदेश की प्रतिलिपि ई–मेल/मेसेज के माध्यम से संबंधितों को प्रेषित किये जाने हेतु।

(भारत सिंह कनेल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
गुना (म.प्र.)

पृ.क्र.:–   /2024   गुना, दिनांक 28.02.2024

<u>प्रतिलिपि :–</u> (ईमेल–मेसेज द्वारा)

1- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, गुना की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2- समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुना/आरोन/राघौगढ़/चांचौड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

3- जिला/सहायक अभियोजन अधिकारी, गुना/आरोन/राघौगढ़/चांचौड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

4- अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, गुना/आरोन/राघौगढ़/चांचौड़ा की ओर सूचनार्थ।

5- नाजिर/नायब नाजिर, नजारत अनुभाग गुना/आरोन/राघौगढ़/चांचौड़ा की ओर सूचनार्थ।

6- पुलिस अधीक्षक, गुना की ओर समस्त थाना प्रभारियों को संसूचित करने बावत्।

7- जेल अधीक्षक जिला गुना, की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

8- सिस्टम आफिसर/डी.एस.ए./कम्प्यूटर लिपिक न्यायिक स्थापना गुना/आरोन/राघौगढ़/चांचौड़ा की ओर उक्त आदेश की प्रतिलिपि ई–मेल/मेसेज के माध्यम से संबंधितों को प्रेषित किये जाने हेतु।

(भारत सिंह कनेल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
गुना (म.प्र.)